Title: Situation arising out of ban on sale of mineral water in puches resulting in large scale unemployment.

श्री वाई. जी. महाजन (जलगांव): माननी्य अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम् से माननी्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि भारती्य मानक ्यूरो द्वारा प्रामणित िक्या ग्या मिनरल वाटर बोतलों तथा पाउच द्वारा बेचा जाता है। भारती्य मानक ्यूरो ने दोनों तरीकों से पैक िकए गए पानी निर्माताओं को आई.एस.आई. मार्क दि्या है, किन्तु अचानक हाल ही में भारती्य मानक ्यूरो ने पाउच द्वारा बेचे जाने वाले मिनरल वाटर पर पाबन्दी लगा दी है जि्स्से देश्भर के मिनरल वाटर निर्माता हैरानी में हैं।

महोद्य, बोतल्बंद पानी बेचने को अनुमित और पाउच के निर्माताओं पर पा्बन्दी, यह कै्सा न्या्य हो रहा है ? इस्से दे्श के हजारों पाउच बनाने वाले, मिनरल वाटर बेचने वाले तथा पाउच पैक करने वाले बेरोजगार हो गए हैं। इस व्यवसाय से जुड़े हुए लाखों की संख्या में कारीगर भी बेरोजगार हो गए हैं। कई उत्पादकों ने बैंकों से ऋण लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया था। पाउच द्वारा मिनरल वाटर बेचने पर पाबन्दी लगने के बाद उन्हें बैंकों का ऋण चुकाने में भी काफी कठिनाई हो रही है।

महोद्य, मेरी आपके माध्यम ्से माननी्य ्स्वा्स्थ्य मंत्री जी ्से अनुरोध है कि ्वे पाउच में मिनरल ्वाटर ्बेचने पर लगाई गई पा्बन्दी को तुरन्त हटाने के निर्देश जारी करें।